

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 3/2015

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री भैरूलाल
2. श्री रामदेव
3. श्री श्रीवराज
पुत्रगण श्री सूवालाल
समस्त जाति तेली निवासीगण ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति सजनी पत्नी श्री मूला जाति रेबारी निवासी ग्राम जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

- उपस्थित :-
1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
 2. श्री के. के. पुरोहित वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
 3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।



—: आदेश :-

दिनांक 03.02.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 20.06.2002 को ग्राम जामोला में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा श्रीमति सजनी पत्नी श्री मूला के पक्ष में ग्राम जामोला के आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के

अपर कलक्टर
अजमेर

पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, निरुम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307, 308, 310, 311, 313 एवं 314 ग्राम जामोला में अवस्थित है उक्त भूमि के मध्य खसरा नम्बर 312 सिवायचक आराजियात किस्म बंजड अवस्थित है। विवादित भूमि से लगते हुए प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 307, 308, 310, एवं 311 एवं विवादित भूमि के दक्षिण दिशा में लगते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 के खेत खसरा नम्बर 313 एवं 314 अवस्थित है। उन्होंने कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कदीमी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पशु चरते आये हैं एवं अपनी खातेदारी के खेतों पर हुई फसल विवादित भूमि पर एकत्रित कर खलिहान के रूप में उपयोग कर अनाज निकालते हैं तथा चारा व रोड़ी डालते हैं। इस प्रकार कृषि के सहायक कार्यों में वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। वकील प्रार्थीगण का आगे कथन है कि आवंटी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन पश्चात न तो कभी कब्जा प्राप्त किया गया न ही राजस्व एजेन्सी द्वारा कभी आवंटी को कब्जा सौंपा गया। विवादित भूमि रेकार्ड में बंजड दर्ज है जो पथरीली है जिसमें काश्त संभव नहीं है मात्र वर्षा ऋतु में घास उत्पन्न होती है जिस पर प्रार्थीगण के मवेशी कदीम से चरते चले आ रहे हैं। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन पश्चात विवादित भूमि पर आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया गया है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2055-58, 2059-62 व 2063-66 के अवलोकन से स्पष्ट है। विवादित भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा काश्त होने की पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2041 से होती है। उन्होंने कथन किया कि कृषि भू आवंटन की शर्तों अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.J. 1998 पेज 622 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छिपाकर गुपचुप तरीके से अपने पक्ष में करवा लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात पुराने कब्जे काश्त के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 का कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है जिसमें से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में एवं शेष भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल के पक्ष में किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि किस्म बंजड है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि बरानी-3 काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर आवंटन पश्चात निरंतर कब्जा काश्त चला आ



अपर कलक्टर
अजमेर

रहा है। आवंटी द्वारा भूमि को काफी मेहनत व धन राशि खर्च कर काबिल काशत बनाया है एवं फसल काशत की जा रही है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2070-73 से स्पष्ट है उक्त वर्षों में आवंटी द्वारा फसल गवार व मुंग काशत की गई है। वकील अप्रार्थिया ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन दिया कि अप्रार्थिया द्वारा काशत फसल जब प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई अथवा फसल खराब हुई तो राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि अदा की गई है। अप्रार्थिया अनुसूचित जाति की विधवा महिला है जबकि प्रार्थीगण का लम्बा चौडा परिवार है तथा अपने धन बल से अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित भूमि को हडप करना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थिया को विवादित भूमि पर जाने के रास्ते को भी रोक कर बंद कर दिया है तथा पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थिया के पक्ष में विवादित भूमि की खातेदारी भी दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि नियम 14 (3) के अन्तर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काशत करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में इस शर्त को विलोपित कर दिया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो झूठ एवं कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई हो। जबकि अप्रार्थिया द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की जा रही है तथा रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक करवाया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च के निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर मजमे आम में किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नियमानुसार की गई है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पूर्णतय नियमानुसार किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका कदीमी समय से कब्जाकाशत चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। हम वकील अप्रार्थी संख्या 1 के इन कथनों से सहमत है कि नियम 14(3) के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर तथा इसके दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर फसल काशत करना




अपर कलेक्टर
जयप्रकाश

आवश्यक है। इस शर्त को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में विलोपित कर दिदया गया है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हों। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **03.02.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर अजमेर